शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय, तखतपुर

जिला- बिलासपुर (छ.ग.)

(नैक 2015 से ''बी'' ग्रेड प्राप्त)

सूचना एवं प्रवेश विवरणिका

INFORMATION & ADMISSION BROCHURE

GOVERNMENT J.M.P. COLLEGE,

TAKHATPUR, DIST.-BILASPUR (C.G.)

प्राचार्य की कलम से ......

उच्च शिक्षा हेतु इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त विद्यार्थियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं । महाविद्यालय परिवार निरंतर प्रयासरत है कि विद्यार्थियों को उनकी पसंद के व रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के अध्ययन का मौका मिल सके, आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो सके और बेहतर व्यवस्था हो । हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय को नैक से बी ग्रेड प्राप्त हुआ है, आने वाले समय में और भी अधिक व्यवस्थित लैब व अध्ययन कक्ष हो इसके लिये महाविद्यालयीन परिवार प्रयासरत है ।

हमारा ध्येय हमेशा रहा है व रहेगा कि हर विद्यार्थी अनुशासित रहे, उत्तम जीवन शैली हो, चहुँमुखी विकास हो, वांछित जीवन मूल्यों, मानवता व सामाजिकता की भावनाओं से ओतप्रोत मन हो और सुसंगठित व्यक्तित्व के धनी हो, ताकि जीवन की समस्त भूमिकाओं का निर्वाह पूरी लगन, जिम्मेवारी व ईमानदारी से भलीभाँति करने योग्य बने व अपने परिवार, महाविद्यालय, नगर व राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकें ।

सफल एवं गौरवपूर्ण जीवन हेतु अनेक शुभकामनाएँ .... ।

Dr. (Smt) S.N. Lader
Principal

tÑàâwùàvu §ýà yâÕàÃm qáÊ ju

tÑàâwùàvu §ýL ÐnàqÂàà mhmqÊ âÎàÕà½à yâtâm õàÊà 15 kvà¢ 1965 §ýà §ýL ªà¢ nã mr tÑàâwùàvu t ÐÂààm§ý ÐmÊ m§ý §ývà ¥w âwÖààÂà y§ýàu t ¡ÁuuÂà §ýL ÍuwÐnà nã ñ m¾§ýàvãÂà t.Zà. ÎààyÂà £° j âÎàÕàà âwsàªà õàÊà 01 ¡¨¹rÊ 1982 §ýà tÑàâwùàvu ÎààyÂààoãÂà â§ýuà ªàuà ñ yØà 1987 y ÊàkÂàããm ÎààÐØà âwxu t ÐÂààm§ýàÙàÊ ÐmÊ m§ý §ýL §ýÕààu ZààÊs §ýL ªà¢ ñ kÂàsàªàãÀàÊã yâtâm õàÊà Êà³u y ¡Âàtâm ZààÃm §ýÊ ¡qÂà tÀ y âÂàuâtm ÐÂààm§ýàÙàÊ ¥t.¥. ¢âmÑày, âÑÂÀã yààÑ¾u âwxu §ýà y jàvÂà â§ýuà kà ÊÑà Ñ ñ £° j âÎàÕàà ¡ÂàÀàÂà ¡àuàªà âÀÌvã õàÊà 2 ¥Äý t qkã§ým ¢y yÐnàÂà §ýà ªàÛý iàyãÀày âwÎwâwùàvu, ârvàyqÊ y Ðnàuã yr÷mà ZààÃm Ñ ñ 11.04 ¥§ý»¦ §ýà qáÊyÊ ¥w ¡qÂàà swÂà ârvàyqÊ - tªàvã Êà³u tàªà §ý.07 qÊ 31 w â§ý. tã. ÀÊã qÊ 0Ðnm Ñ ñ

âwªàm yØà t tÑàâwùàvu ¡qÂà ¡ÂàÎààyÂà âZàu ²¦àØàà ¥w ¡âo§ýàáÊuà mnà §ýt jàáÊuà §ý yÑuàªà y ¡qÂàã ¥§ý Âà¢ qÑ jàÂà rÂàà y§ýà Ñ, yÈq½à ¡àoâÂà§ý yà j §ý yàn Ê jÂàà¾t§ý Àã¯ y yââtm yàoÂàà §ý ràwkÀ ÑtÂà ¥yà rÑm §ý²¦ Ñààyv §ýÊ âvuà Ñ â§ý sâwÏu t ZàwÎà §ýL ÑtàÊã Zââmr÷mà ¥w y§ýÌq Àã¯ À¼¦ Ñ¢ Ñ ñ ÑtàÊà ¡à¾t âwÎwày r¼à Ñ ¡àÊ ¡âssàw§ýà §ýà âwÎwày sã yÐnà §ý Zââm À¼¦ Ñ¡à Ñ ñ ²¦àØà-²¦àØàà ¡à §ýL âÂàuâtm £q0Ðnâm ¡àÊ yÑsààªàmà y Ñt Âà¢ £Àsàwâàà ¡à §ýà ¡à§ýàÊ À qàÂà t ytn Ñ ñ uùâq uÑ quàÃm ÂàÑã Ñ ñ quàwÊ½à yÊÕà½à, ÐwÊàkªààÊ uàkÂàà, kâw§ý hàÀ âÂàtà½à, ¥Âà.¥y.¥y., ¥Âà.yã.yã., hv§ýÀ ¡ààÀ §ý tàÂut y ÑtÂà ¡qÂàã yàtàâk§ý Zââmr÷mà kàâÑÊ §ýÊ Àã Ñ ñ ÑtàÊà vÕu Ñ uw§ý-uwâmuà §ýà £° j âÎàÕàà ÀÂàà ¡àÊ ÐwÊàkªààÊthã §ýÊÂàà ñ ¡à¢u Âàu Ûýq y Âàu y§ýÌq §ý yàn ... yàn-yàn jv ... ¥§ý ¡àÀÎà £° j âÎàÕà½à yÐnàÂà §ý âÂàtà½à §ýL §ýàâÎàÎà §ýÊ ñ

Ðw°²¦ qáÊyÊ, ¡§ýàÀâ t§ý qáÊwÎà, ¢tàÂàÀàÊ jáÊØà, âÂààwwàÀ ÎàÕàâ½à§ý tàÑàv

vÕu ¥w £ÀÀÎu -

1. ytàk t y§ýàÊà¾t§ý sâ t§ýà âÂàsàÂà Ñm uwà qã¼¦ã §ýà ªà½àà¾t§ý âÎàÕàà §ý yàn £° j âÎàÕàà §ý ¡wyÊ ZàÀàÂà §ýÊÂààñ
2. uwà qã¼¦ã t ¡à¾t-âwÎwày §ýL y jàÊ, Íuâ¨m âw§ýày, ¡Âàyoà¾t§ý ZàwâÙàuà ytàÂàmà §ýL sàwÂàà mnà Êã¯ Zàt §ýL sàwÂàà ZàÐÄyâ¹¦m §ýÊÂà Ñm wàmàwÊ½à ZàÀàÂà §ýÊÂàà ñ
3. ÖààÂàq½à ¡àÊ §ýÌuà½à§ýàÊã ytàk §ý ymm £ÂÂàuÂà §ý âvu âÎàÕàà §ý yÀquàªà y t©u sât§ýà §ýà âÂàwÑÂà §ýÊÂààñ
4. ÊàkªààÊàÂthã qàº¦Ü§ýt y jàvÂà §ý quày ñ

tÑàâwùàvu §ý ¡Âu ¡à§ýx½à :

1. u.kã.yã ¡ÂàÀàÂà y tâÑvà ²¦àØààwày, ¢½»¦àÊ Ðqà¹¦y ¹¦âÂàªà Äýâyâv¹¦ã ¥w Àà ¡ÁuàqÂà §ýÕà âÂàtà½àÁààÂà Ñ ñ
2. Êã¯¦ãu ywà uàkÂàà (¥Âà.¥y.¥y.) ¢§ýà¢ ñ
3. un Ê»¦§ýày yàyàu¹¦ã
4. ¥Âà.yã.yã.
5. hv§ýÀ yâwoà¥ ñ
6. u.kã.yã. Âà¹¦w§ý áÊyày yÂ¹¦Ê âÂàtà½ààoãÂà Ñ ñ
7. Ðtà¹¦ ¨vày Ûýt ZàÐmàâwm Ñ ñ
8. ²¦.ªà. ÎààyÂà õàÊà jàÊ ¡ÁuàqÂà §ýÕà, ÀyÊã tâkv qÊ ¥w qÑ j tàªà âÂàtà½à §ýàu Ðwã§ým ñ
9. jàÊ §ýÕàà §ýà £ÂÂàuÂà §ýàu Ðwã§ým ñ
10. t©u tØàã §ýâÎàv âw§ýày uàkÂàà §ý mÑm §ýày y jââvm ÑàÂà §ýL ysàwÂàà ñ

ÎàÕàâ½à§ý ¥w qÎààyâÂà§ý yÊjÂàà

Zàà jàu

»|à. (óãtmã) yqÂàà ¥. ÑÂàÊã

âwÖààÂà y§ýàu

1.	ªàâ½àm âwsàªà	-	yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	»|à. ¥y.§ý. qà»|
2.	ÊyàuÂà ÎààÐØà âwsàªà	-	yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	»|à. (óãtmã) yãtà Âàªàã
3.	wÂàÐqâm ÎààÐØà âwsàªà	-	yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	óãtmã ¢À §ýàÎàv
4.	Zà½àã ÎààÐØà âwsàªà	-	yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	óãtmã mÅmã ¹|½»|Âà
5.	sàâm§ýL âwsàªà	-	yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	óãtmã ÊâÎt kÂà

§ývà y§ýàu

1.	ytàk ÎààÐØà âwsàªà	-	yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	»|à. (óãtmã) ¥y.¥Âà. vÀÊ
2.	ÊàkÂàãâm ÎààÐØà âwsàªà	-	qàÁuàq§ý	áÊQý
			yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	»|à. (óãtmã) tãÂàà Îàtà
3.	¡nÎààÐØà âwsàªà	-	yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	»|à. ¡àÊ.qã. yÑàáÊuà
4.	¢âmÑày âwsàªà	-	qàÁuàq§ý	áÊQý
			yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	»|à. Êàkãw Îàtà
5.	¡ªàkã âwsàªà	-	yÑàu§ý qàÁuàq§ý	»|à. (óãtmã) yãtà tÂàãxà Âààn
6.	âÑÂÀã âwsàªà	-	qàÁuàq§	áÊQý
			yÑàu§ý ZààÁuàq§ý	óã »|àtÂà ZàyàÀ jÂôwÎàã

§ýL»|à âwsàªà

1.	§ýL»|à ¡âo§ýàÊã	-	»|à. rym §ýtàÊ ¡jv

ªànàvu

1.	ªànqàv	-	áÊQý (ZàsàÊã - »|à. (óãtmã) ¥y.¥Âà. vÀÊ)

---

¹|áq : kÂàsàªààÀàÊã y y jààvm âwxu ¥w y§ýàu Ñm kÂàsàªààÀàÊã tÀ y tàªàÀÎà§ý §ýL ÍuwÐnà §ýL kàuªàã ñ

tÑàâwùàvu t| §ýàuÊm mmãu ¥w jmn ó½àã
§ýt jàáÊuà §ýL yjã

तृतीय श्रेणी

01.	सहायक ग्रेड–01	–	श्री के. यू. खान
02.	सहायक ग्रेड–02	–	श्री अशोक जज्ञासी
03.	सहायक ग्रेड–03	–	श्री अमन पाण्डेय
04.	सहायक ग्रेड–03	–	रिक्त
05.	प्रयोशाला तकनीशियन	–	श्री ए. हिरानी
06.	प्रयोगशाला तकनीशियन	–	रिक्त
07.	प्रयोगशाला तकनीशियन	–	श्री तिलकराम कौशिक

चतुर्थ श्रेणी

01.	प्रयोगशाला परिचारक	–	श्री अमरसिंह आरमो
02.	प्रयोगशाला परिचारक	–	श्रीमती लता चंद्रवंशी
03.	प्रयोगशाला परिचारक	–	श्री डुमेन्द्र कुमार नायक
04.	प्रयोगशाला परिचारक	–	रिक्त
05.	भृत्य	–	रिक्त
06.	भृत्य	–	श्री बृजमोहन महादेवा
07.	चौकीदार	–	रिक्त
08.	फर्राश	–	श्री गोवर्धनलाल साहू
09.	फर्राश	–	श्री मोहन धुरी
10.	बुक लिफ्टर	–	श्री देवकुमार नायक

tÑàâwùàvu t ÐÂààm§ý ¥w ÐÂààm§ýàÙàÊ ÐmÊ qÊ q¼àu kàÂà wàv âwxu ytÑ ¥w y§ýàu

§ývà y§ýàu

1. rã.¥. sàªà-1 §ýà qàºÜ§ýt -

¡.	¡âÂàwàu âwxu	-	¡àoàÊ qàºÜ§ýt (âÑÂÀã sàxà, ¡ªàkã sàxà)
r.	quàwÊ½à ¡ÁuuÂà		
y.	¥0°²§ý âwxu	-	âÂàÈÀàâvâhm âwxuà t â§ýÂÑã mãÂà âwxuà §ýà juÂà §ýÊ ñ 1. ytàkÎààÐØà 2. ¡nÎààÐØà 3. ÊàkÂàããm ÎààÐØà 4. âÑÂÀã yààÑ¾u 5. ¡ªàkã yààÑ¾u uà 6. ¢âmÑày 7. sªààv

2. rã.¥. sàªà-2 ¥w 3 §ýà qàºÜ§ýt -

¡.	¡âÂàwàu âwxu	-	¡àoàÊ qàºÜ§ýt (âÑÂÀã sàxà, ¡ªàkã sàxà)
r.	¥0°²§ý âwxu	-	rã.¥. sàªà-2 ¥w 3 t w Ñã âwxu vÂà Ñàªà, kà rã.¥. sàªà-1 t âvu ªàu n ñ

3. ¥t.¥ -

tÑàâwùàvu t ÊàkÂàããm Îààe, âÑÂÀã yààÑ¾u, ¢âmÑày, ¡nÎààe ¥w ytàkÎààe t ÐÂààm§ýàÙàÊ ¡ÁuuÂà §ýL yâwoà Ññ

âwÖààÂà y§ýàu

1. rã.¥y-yã. sàªà-01ý -

¡.	¡âÂàwàu âwxu	-	¡àoàÊ qàºÜ§ýt (âÑÂÀã sàxà, ¡ªàkã sàxà)
r.	quàwÊ½à âwÖààÂà		
y.	¥0°²§ý âwxu	-	ªàâ½àm ytÑ - sàâm§ý Îààe, ÊyàuÂà Îààe, ªàâ½àm ràuà ytÑ - wÂàÐqâm Îààe, Zàà½àã Îààe ¥w ÊyàuÂà Îààe

2. rã.¥y-yã. sàªà-2 ¥w sàªà-3

¡.	¡âÂàwàu âwxu	-	¡àoàÊ qàºu§ýt (âÑÂÀã sàxà, ¡ªàkã sàxà)
r.	¥0°²§ý âwxu	-	rã.¥y-yã. sàªà-2 ¥w 3 t w Ñã âwxu vÂà Ñàªà, kà rã.¥y-yã. sàªà-1 t âvu ªàu n ñ

wàâ½à³u y§ýàu

1.	rã.§ýàt. sàªà- 1 ¥w 2	¡. ¡âÂàwàu âwxu - ¡àoàÊ qàºu§ýt (âÑÂÀã sàxà, ¡ªàkã sàxà) r. quàwÊ½à ¡ÁuuÂà y. ¥0°²§ý âwxu - âwÎwâwùàvu õàÊà âÂàoààÊm qàºu§ýtàÂàyàÊñ
2.	Æàã.yã.¥. sàªà-1 ¥w 2	¡. ¡âÂàwàu âwxu - ¡àoàÊ ZààùàâªàSýL y§ýàu (âÑÂÀã sàxà, ¡ªàkã sàxà) r. quàwÊ½àñ r. ¥0°²§ý âwxu - âwÎwâwùàvu õàÊà âÂàoààÊm qàºu§ýtàÂàyàÊ ñ (rã.yã.¥. t ÐwàÁuàuã qÊãÕààânuà §ý âvu ZààwoàÂà ÂàÑã Ñ ñ)

¹ãq :- 1. ysã qàºu§tà t kà âwxu Zànt wx t âvu kàwªà wÑã âõmãu w mmãu wx t ÊÑªà ñ

2. ZààuàâªàSý âwxu §ý ÐwàÁuàuã ²àØà-²àØàà ¡à §ýà qkãuÂà §ýÊà§ýÊ ZààuàâªàSý ÎàÌ§ý ktà §ýÊ tàÑ ¡¨¹rÊ y ZààuàâªàSý §ýÕàà ¡à t £qâÐnm ÑàÂàà Ñàªààñ (âwÎwâwùàvu õàÊà qáÊwmÂà vàªà Ñàªààñ)

tÑàâwùàvu t ÐÂààm§ý ¥w ÐÂààm§ýàÙàÊ §ýÕàà ¡à t £qvÆo yã¹à §ýL y©uà

(²Ùààyªà¼ Îààyâà £°j âÎàÕàà âwsàªà ¥w ârvàyqÊ âwÎwâwùàvu, ârvàyqÊ õàÊà âÂàoàáÊm)

ÐÂààm§ý -		
§ývà y§ýàu -		
rã.¥. (sàªà-¥§ý)	-	200
rã.¥. (sàªà-Àà)	-	200
rã.¥. (sàªà-mãÂà)	-	200
¹ãq :- rã.¥. sàªà-¥§ý sªààv âwxu Ñm §ýwv 50 yã¹ âÂàoàáÊm §ýL ªà¢ Ñ ñ ¡ªàvã §ýÕàà ¡à t sã uÑã y©uà ÊÑªàã ñ		
âwÖààÂà y§ýàu - (ªààâ½àm ¥w ràuàvàkã)		
rã.¥y.-yã. (sàªà-¥§ý)	-	120
rã.¥y.-yã. (sàªà-Àà)	-	120
rã.¥y.-yã. (sàªà-mãÂà)	-	120
wàâ½à³u y§ýàu -		
rã.§ýàt (sàªà-¥§ý)	-	100
rã.§ýàt (sàªà-Àà)	-	100
rã.§ýàt. (sàªà-mãÂà)	-	100
qàùààªà§ýL y§ýàu -		
rã.yã.¥. (sàªà-¥§ý)	-	50
rã.yã.¥. (sàªà-Àà)	-	50
rã.yã.¥. (sàªà-mãÂà)	-	50

ÐÂààm§ýàÙàÊ -		
¥t.¥. qw ÊàkÂàããm ÎààÐØà	-	20
¥t.¥. ¡âmt ÊàkÂàããm ÎààÐØà	-	20
¥t.¥. qw ¢âmÑày	-	20
¥t.¥. ¡âmt ¢âmÑày	-	20
¥t.¥. qw âÑÂÀã yààÑ¾u	-	20
¥t.¥. ¡âmt âÑÂÀã yààÑ¾u	-	20
¥t.¥. qw ytàk ÎààÐØà	-	20
¥t.¥. ¡âmt ytàk ÎààÐØà	-	20
¥t.¥. qw ¡nÎààe	-	20
¥t.¥. ¡âmt ¡nÎààe	-	20

ÐÂààm§ýàÙàÊ §ýÕàà ¡à §ý ytÐm âwxuà t âÂàuâtm ¥w ÐwàÁuàuã ÀàÂàà Ñã qÊãÕàààâuà §ýà ¢y tÑààwùàvu t q¼à¥ kàÂà wàv qÎÂà qØà vÂàà Ñàªàà kà âÂàÈÂààÂàyàÊ Ñ :-

¥t.¥. qw (¢âmÑày)

¡âÂàwàu ZàÎÂà-qØà

1. ¢âmÑày vhÂà, ¡woàÊ½àà qÁÀâmuà ¡àÊ yàoÂà
   (Historiographic, concept, Methods and Tools)
2. 20 wã Îàmà£Àã §ýà âwÎw
   (Twentieth Century World)
3. sàÊm §ýà ¢âmÑày (1757-1857)
   (History of India - 1757-1857)
4. ²¦Ùàãyªà¼ t ÐwmØàmà ¡àÀàvÂà ¥w ZàÎààyÂà §ýà ¢âmÑày (1854-1947)
   (History of Administration & Freedom Movement in Chhattisgarh 1854-1947)

¥t.¥. ¡âmt (¢âmÑày)

âwÎàxÑàmà ZàÎÂà-qØà

1. sàÊm §ýà ¢âmÑày (1858-1964)
   (History of India - 1858-1964)

w§ý0Ìq§ý ZàÎÂà-qØà

2. tÊàº¦à §ýà ¢âmÑày (1647-1961)
   (History of the Marathas From - 1647-1961)
3. sàÊm t Ðwm Øàmà ¡àÀàvÂà §ýà ¢âmÑày (1857-1647)
   (History of Indian Freedom Movement - 1857-1947)
4. yÀÊ qw §ýà ¢âmÑày (1890-1945)
   (History of the For East - 1890-1945)

¥t.¥. qw (âÑÂÀã)

¥t.¥. qw ¥w ¡âmt t âÂàuâtm ¥w ÐwàÁuàuã ÀàÂàà qÊãÕàààâuà §ýà âÂàÈÂààÂàyàÊ ZàÎÂà-qØà vÂàà Ñàªàà ñ kà ¢y tÑààwùàvu t q¼à¥ kàm Ññ ¥t.¥. qw âÑÂÀã t qàj ¡âÂàwàu ZàÎÂà-qØà Ñàm Ñ kà âÂàÈÂààÂàyàÊ Ñ:-

ZàÎÂà qØà - ¥§ý - Zàà j ãÂà ¥w tÁu§ýàvãÂà §ýàÍu
ZàÎÂà qØà - Àà - ¡àoâÂà§ý âÑÂÀã §ýàÍu
ZàÎÂà qØà - mãÂà - ¡àoâÂà§ý ªàù yààÑ¾u
ZàÎÂà qØà - jàÊ - sàxà âwÖààÂà ¥w âÑÂÀã sàxà
ZàÎÂà qØà - qà j - âÑÂÀã yààÑ¾u §ýà ¢âmÑày

¥t.¥. ¡âmt (âÑÂÀã)

¥t.¥. ¡âmt §ý ZàÎÀà-qØà ¢y Zà§ýâÊ Ñ :-

¡âÀàwàu ZàÎÀà-qØà:-

1. §ýàÍu Îààe ¥w yààѾuvà j Àà
2. Zààuàk Àà tv§ý âÑÂÀã
3. sàÊmãu yààѾu

¥0°²|§ý ZàÎÀà-qØà:-

4. ²|Ùààyª๠sàxà ¡àÊ yààѾu
5. qØà§ýááÊmà ZààÎàÕà½à

Zààk¨¹| §ýàu:- ²|Ùààyª๠sàxà ¡àÊ yààѾu ¥w qØà§ýááÊmà ZààÎàÕà½à ZàÎÀà-qØà t 20 ¡§ýà §ýà Zààk¨¹| §ýàu ¡àÊ tààh§ý ýqÊãÕàà Ñàmã Ñ ñ

¥t.¥. qw (ÊàkÂàããm Îààe)

¥t. ¥. qw âÀàuâtm ¥w ÐwàÁuàuã ÀàÂàà qÊãÕàààânuà §ý âvu ¡âÀàwàu ZàÎÀà-qØà âÀàÈÀààÀàyàÊ Ñàªà :-

1. sàÊmãu ¥w qàÎ j à¾u ÊàkÂàããm§ý â j mÀà
   Indian and Western Political Thought
2. mvÂàà¾ t§ý ÊàkÂàããm
   Comparative Politics
3. ¡mÊàÏ¹|ãu ÊàkÂàããm ¥w ytyàtâu§ý tö
   International Politics and Contemprory Issues
4. sàÊmãu ÎààyÀà w ÊàkÂàããm
   Indian Government and Politics.

¥t.¥. ¡âmt (ÊàkÂàããm Îààe)

¥t. ¥. ¡âmt t ¥§ý ¡âÀàwàu ZàÎÀà-qØà Ñàªàà ¥w mãÀà ¥0°²|§ý ZàÎÀà-qØà Ñàªà ñ âkÂÑ ¥§ý Ñã Group y vÂàà ¡âÀàwàu Ñàmã Ñ ¢y tÑààwùàvu t Group 'A' §ý mãÀà ¥0°²|§ý ZàÎÀà-qØà kà q¼|àu kàm Ñ, £ÂÑ âÀàuâtm ¥w ÐwàÁuàuã ÀàÂàà qáÊÕàààânuà §ýà vÂàà Ñàªàà :-

1. và§ý ZàÎààyÀà ¥w Îàào Zààwâo
   Public Administration Research Methodology

Group 'A'

2. sàÊm t và§ýmØà ¥w ²|.ªà. Êà³u §ýL ÊàkÂàããm
   Democracy in India & Politics of Chhattisgarh.
3. sàÊm t yiwàÀ ¥w ÐnàÂààu ÐwÎààyÀà
   Federalism in India & Local Self Government.
4. sàÊmãu ÊàkÂàããm Àv ¥w sàÊm t âÀàwà j Àà §ýL ÊàkÂàããm
   Political Parties in India & Electoral Politics in India.

¥t.¥. qw (ytàkÎààe)

''âÂàuâtm'' qáÊÕàààn uà Ñm ¡âÂàwàu ¥w ¥0°²¦§ý ZàÎÂà-qØà âÂàÈÂààÂàyàÊ Ñàªà :-

¡âÂàwàu ZàÎÂà-qØà

1. £¾§ý¯¦ ytàk ÎààÐØààu qÊqÊàu

(Classical Sociological Tradition.)

2. ytàkÎààe §ýà yÁÀààm§ý qáÊZàÕu

(Theoritical Perespective of Sociology.)

3. yàtààk§ý ¡Âàyoàâà §ýL Zà½àààvuà

(Methods of Sociological Research.)

4. qàk¨¹¦ ÃvààÂàªà

¥0°²¦§ý ZàÎÂà-qØà

5. sàÊm t ªàà tã½à ytàk

(Rural Society in India.)

¥t.¥. qw (ytàkÎààe)

''ÐwàÁuàuã'' qáÊÕàààn uà Ñm ¡âÂàwàu ¥w ¥0°²¦§ý ZàÎÂà-qØà âÂàÈÂààÂàyàÊ Ñàªà :-

¡âÂàwàu ZàÎÂà-qØà

1. £¾§ý¯¦ ytàk ÎààÐØààu qÊqÊàu

(Classical Sociological Tradition.)

2. ytàkÎààe §ýà yÁÀààm§ý qáÊZàÕu

(Theoritical Perespective of Sociology.)

3. yàtààk§ý ¡Âàyoàâà §ýL Zà½àààvuà

(Methods of Sociological Research.)

¥0°²¦§ý ZàÎÂà-qØà

4. sàÊm t ªàà tã½à ytàk

(Rural Society in India.)

5. yàtààk§ý kÂààâ§ý§ýL

(Social Demography.)

> ''¡ÁuuÂà §ý Zààm Zàt ÍuâQýuà §ýà kãwÂà t ¡àÂà wàv âwxàÀ ¡àÊ ¨vàÔÂm §ý Õà½àà §ýà ¡àÂàÀ ¡àÊ ZàyÂÂàmà §ý Õà½àà t qáÊâ½àm §ýÊÂà t yÕàt rÂààmà Ññ'' - tàÂ¹¦Ð§ýL

¥t.¥. ¡âmt (ytàkÎàe)

"âÂàuâtm ¥w ÐwàÁuàuã" qáÊÕàâmuà Ñm ¡âÀàwàu ¥w ¥0º²|§ý ZàÎÀà-qØà âÀàÈÀààÀàyàÊ Ñàªà :-

¡âÀàwàu ZàÎÀà-qØà

1. sàÊmãu ytàk §ý qáÊZàÕu
(Classical Indian Society.)
2. qáÊwmÂà ¥w âw§ýày §ýà ytàk-Îàe
(Sociology of change and development)
3. sàÊm §ý £ùàªà
(Industrial Sociology in India.)

¥0º²|§ý ZàÎÀà-qØà

4. sàÊm t ÂàªàÊãu ytàk
(Urban Society in India.)
5. ¡qÊào Îàe
(Criminology.)

¥t.¥. qw (¡nÎàe)

¥t.¥.qw ¥w ¥t.¥. ¡âmt ¡nÎàe t jàÊ ¡âÀàwàu mnà ¥§ý ¥0º²|§ý ZàÎÀà-qØà §ýà ¡ÁuuÂà §ýÊÀàà Ñ ñ ¢y Zà§ýàÊ 5-5 ZàÎÀà qØà Ñàªà ñ

¡âÀàwàu ZàÎÀà-qØà

1. Íuàâ™ ¡àân§ý âwÎvx½à
(Micro Economic Analysis.)
2. qáÊtà½àà¼t§ý qÁÀâmuà
(Quantitative Method.)
3. sàÊmãu ¡àân§ý Âàãâmuà
(Indian Economic Policy.)
4. ¡ÂmÊà˜ãu ÍuàqàÊ ¥w âwÙà
(International Trade & Finance.)

¥0º²|§ý ZàÎÀà-qØà

5. ¡àùààªà§ý ¡nÎàe
(Industrial Economics.)

¥t.¥. ¡âmt(¡nÎàe)

¡âÀàwàu ZàÎÀà-qØà

1. ytâ™ ¡àân§ý âwÎvx½à
(Macro Economic Analysis.)
2. và§ý ¡nÎàe
(Public Economics)
3. ¡àân§ý yw0ÁÀ ¥w âw§ýày
(Economic Growth and Development.)
4. yàtàk§ý ÕàØà ¥w quàwÊ½àãu ¡nÎàe
(Economics of Social Sector and Environment.)

¥0º²|§ý ZàÎÀà-qØà

5. ót ¡nÎàe
(Labour Economics.)

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम*

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2013–14 एवं 2014–15 में भी प्रभावशील

(2015–16 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह लागू होगा)

1. प्रयुक्ति :

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र जमा करना :

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन–पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी जायेगी । प्रवेश बोर्ड / वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था से संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन–पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों के स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था । उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते हीं, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करनाः–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनमूर्ल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पूर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लियेअध्यापन के विषय/विषयसमूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है । उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितो को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियो को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के विद्यार्थियो को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीयस्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस. –सी (गृहविज्ञान)/एम.ए.पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.–सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :–

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राविधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष) में नियमित प्रवेश की पत्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल. बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :–

विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी । विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई. सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा में मा.शि.म. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.सी./बी.एच.एस.सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ–पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदाकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका –7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8. 5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही निपयमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़–फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश की आयु सीमा :–

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई के आधार में की जायेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये 5 वर्ष की छूट होगी।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेशहेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदको के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़ कर अन्य संकायो के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूर प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

. 11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सिटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3% स्थान आरक्षित रहेगें। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको का 10% अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि करप्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जाए।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए–सर्टिफिकेट	– 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	– 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	– 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	– 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	– 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	– 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	– 10 प्रतिशत
(य)	डयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	– 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम/एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को/ चयनित करने अंतर्राष्ट्रीय के लिये वाले विद्यार्थी को	– 15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	– 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	– 02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	– 04प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	– 06प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	– 07प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	– 05प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में –

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को	– 15 प्रतिशत

	(ख)	प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को	– 12 प्रतिशत
	(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	– 10 प्रतिशत
13.4		भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइसएवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को	– 10 प्रतिशत
13.5		छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–	
	(क)	छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को	– 10 प्रतिशत
	(ख)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को	– 12 प्रतिशत
13.6		जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को	– 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है। बशर्ते कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देयहोगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी–एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी–एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी

द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसर/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

टीप : शासन द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

अपर संचालक
उच्च शिक्षा,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

'' t0Ðmï§ý §ý âv¥ ¡ÁuuÂà £mÂàà Ñã ¡àwÎu§ý Ñ, âkmÂàà Íuàuàt ÎàÊãÊ §ý âv¥ ñ'' - ¥»|ãyÂà

'' ¡ÁuuÂà Ñt ¡àÂàÀ ZàÀàÂà §ýÊmà Ñ, ¡v§ým §ýÊmà Ñ ¡àÊ uàªumà ZàÀàÂà §ýÊmà Ñ ñ'' - Äýàâyy r§ýÂà

'' ¡°²|ã qÐm§ý kãwÂà Àw-Zàâmtà¥ Ñ, £Âà§ýL ¡àÊàoÂàà y m¼§ýàv Zà§ýàÎà ¡àÊ £Ìvày âtvmà Ñ ñ''

- óãÊàt Îàtà ¡àjàu

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी मार्गदर्शक नियम

विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश संबंधी आवश्यक निर्देश :

(अ) महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के लिए इच्छुक छात्र–छात्राओं को निर्धारित प्रवेश आवेदन पत्र (विवरण पत्रिका में संलग्न) भरकर जमा करना होगा। आवेदन पत्र में छात्र एवं पिता/पालक के हस्ताक्षर अनिवार्य है। अपना आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों सहित प्रस्तुत करें –

प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करते समय

(1) विद्यालय/महाविद्यालय का मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) व चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) की सत्यापित छायाप्रति (चयन सूची में नाम आने पर, मूल टी.सी. व सी.सी. जमा करना होगा)

(2) पिछली उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति ।

(3) जन्म प्रमाण पत्र (इस हेतु कोई हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति)

(4) निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ।

(5) जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति ।

(6) माता–पिता के छ.ग. के तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र ।

(7) टिकट साईज की 03 फोटो ।

(8) अध्ययन क्रम में अंतराल होने पर प्रमाणपत्र (गैप)

(9) विकलांग/निःशक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने की सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र ।

(10) प्रवजन प्रमाण–पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) यदि आवेदक सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल या छ.ग. के विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य किसी मंडल का विश्वविद्यालय का हो ।

द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए

(1) प्रथम वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति ।

(2) आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण पत्र ।

(3) टिकट साईज की 02 फोटो

तृतीय वर्ष में प्रवेश के लिए

(1) द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति ।

(2) आवश्यकतानुसार अन्य प्रमाण पत्र ।

(3) टिकट साईज की 02 फोटो

नोट : (1) प्रवेश शुल्क वांछित प्रमाण पत्रों सहित जमा होने पर ही प्रवेश संपन्न माना जायेगा ।

परिचय पत्र :–

- महाविद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश संपन्न होने के उपरांत उसे एक परिचय पत्र प्रदान किया जायेगा। महाविद्यालय की गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेते समय तथा महाविद्यालय में किये जाने वाले समस्त व्यवहारों के समय प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- पुराने छात्र अपना परिचय पत्र जमा करके नया परिचय पत्र प्राप्त करेंगे ।
- परिचय पत्र गुम हो जाने पर दूसरा परिचय पत्र पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाकर, प्राप्त प्रमाण के आधार पर 20 रुपये एवं टिकट साइज फोटो जमा करने पर दिया जायेगा।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :–

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार नियमित छात्रों के विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है। जिन छात्रों की उपस्थिति 31 अक्टूबर तक 50 प्रतिशत से कम होगी उनके परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जायेंगे । उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी ।

छत्तीसगढ़ समय–समय पर अपनी उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत अत्तरदायित्व के साथ संबंधित प्राध्यपकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क साधकर जानकारी लेना चाहिये। उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थियों या उनके पालकों को सूचना देने के लिये अत्तरदायी नहीं है। कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम पॉच में सम्मिलित होना आवश्यक होगा ।

विश्वविद्यालय नामांकन :– (नवीन छात्र/छात्राओं अनिवार्य)

प्रवेश उपरांत तुरंत विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु आवेदन पत्र भर कर 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची (सत्यापित) के जमा करे । नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र/छात्राओं का होगा । प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।

शुल्क विनिमय :–

1. एक बार कोई शुल्क जमा हो जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सकेगा ।
2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनुदान नियमों के अनुसार उसे पूरे सत्र का शुल्क जमा करना पड़ेगा चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्यालय छोड़ दें ।
3. संस्था छोड़ने के तीन वर्ष बाद अवधान राशि वापस नहीं की जायेगी ।
4. छात्र/छात्राओं को सलाह दी जाती है कि शुल्क जमा करने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण करें तथा उसे प्रमाण स्वरूप सुरक्षित रखें ।

शुल्क विवरण

शासकीय शुल्क

		स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
01	शिक्षण शुल्क (छात्राओं को छूट)	115.00	135.00
02	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
03.	स्टेशनरी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क	2.00	2.00
04.	प्रौद्योगिक शुल्क (विज्ञान संकाय हेतु)	20.00	20.00
	(भूगोल विषय हेतु)	20.00	20.00
05.	गुमी पुस्तकों की कीमत	–	–
06.	पुनः प्रवेश शुल्क	10.00	10.00
07.	दंड राशि	–	–

अशासकीय शुल्क (स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर के लिये)

01.	सम्मिलित निधि	(क) पाठयेत्तर गतिविधियॉ 20/– (ख) क्रीड़ा गतिविधियॉ 12/–	32.00
02.	महाविद्यालयीन विकास शुल्क		75.00
03.	स्नेह सम्मेलन शुल्क		60.00
04.	वाचनालय शुल्क		20.00
05.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क		100.00
06.	छात्र कॉमन रूम		30.00
07.	परिचय पत्र शुल्क		5.00
08.	चिकित्सा शुल्क		10.00
09.	योजना शुल्क		2.00
10.	छात्र सहायता निधि		10.00
11	प्रयोगशाला शुल्क (विज्ञान संकाय एवं भूगोल के लिये)		50.00
12.	विभागीय पुस्तकालय शुल्क	(क) स्नातक के लिये	20.00
		(ख) स्नातकोत्तर के लिये)	50.00
13.	परिपत्र शुल्क		5.00
14.	जनभागीदारी विकास शुल्क		250.00
15.	जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित विषयों व संकाय हेतु अतिरिक्त शुल्क		1000.00
16.	जनभागीदारी से संचालित संकाय बी.सी.ए. हेतु अतिरिक्त शुल्क		10000.00
17.	रेडक्रास शुल्क		25.00
18.	छात्रसंघ प्रवेश शुल्क		5.00
19.	सांस्कृतिक गतिविधि शुल्क		20.00
20.	महाविद्यालयीन पत्रिका शुल्क		20.00
21.	स्थानीय परीक्षा शुल्क		30.00
22.	शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क		100.00

टीप : क्र. 15 में उल्लेखित जनभागीदारी समिति से संचालित विषय एवं संकाय जिनकी अतिरिक्त शुल्क रू. 1000/– हैं वे इस प्रकार हैं –

1. स्नातक स्तर पर भूगोल, 2. एम.ए. समाजशास्त्र 3. एम.ए. अर्थशास्त्र
4. वाणिज्य संकाय स्नातक स्तर पर

अवधान राशि

		स्नातक	स्नातकोत्तर
01.	स्नातक (कला)	60.00	–
02.	स्नातक (विज्ञान)	60.00	–
03.	स्नातकोत्तर (कला)	–	100.00
04.	शोध छात्र	–	150.00

विश्वविद्यालयीन शुल्क (विश्वविद्यालय द्वारा परिवर्तन लागु होगा)

(प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा किया जाएगा)

01.	नामांकन शुल्क	50.00
02.	नामांकन विलंब शुल्क	20.00
03.	शारीरिक शिक्षा कल्याण शुल्क	50.00
04.	वि.वि छात्र कल्याण शुल्क	10.00
05.	वि.वि. ग्रंथालय शुल्क	20.00
06.	युवा उत्सव शुल्क	1.00
07.	अप्रवजन शुल्क (अन्य वि.वि. से आए छात्र के लिये)	60.00

(महाविद्यालय में परीक्षा फार्म जमा करते समय लिया जाएगा)

07.	वि.वि. परीक्षा शुल्क	वि.वि. द्वारा निर्धारित
08.	नाम परिवर्तन शुल्क	50.00

''râ÷ tàÂà tÂàÏu w Ñã Ñàm Ñ kà ÀyÊà §ýL ªàvâmuà y ¡qÂàã ªàvâmuà yoàÊm Ñ ñ
- Ãurâvuy yà¢Êy

''t h yà j mà Ñ â§ý £y §ýà¢ yvàÑ §ýL ¡àwÎu§ýmà ÂàÑã qÊm ¥§ý râ÷ tàÂà ÍuâQý ÀyÊà §ýL yÂàmà Ñ ñ''

''râ÷ tàÂà tÂàÏu ¡qÂà ¡Âàsw y yãhmà Ñ, ¡âo§ý râ÷ tàÂà ÀyÊà §ý ¡Âàsw y yãhmà Ñ ñ''
- jãÂàã §ýÑàwm

महाविद्यालय में सुविधाएं व अन्य जानकारी

खेलकूद :

महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों के लिए सुविधाएं है –

1. बालीबाल	2. बैडमिंटन	3. खो–खो	4. क्रिकेट	5. कबड्डी	6. शतरंज
7. एथलेटिक्स	8. कैरम	9. टेबल टेनिस	10. हेण्डबाल	11. बास्केटबाल	12. फुटबाल

13. सोलह स्टेशन मल्टीजीम की सुविधा है ।

महाविद्यालय में स्वयं का खेल मैदान उपलब्ध है। छात्र–छात्रओं के लिए पर्याप्त संख्या में क्रीड़ा सामग्री उपलब्ध है।

एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :

इस महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक इकाई कार्यतर है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थीयों को शहरी बस्तियों और ग्रामों में समाज सेवा के कार्य करने होते है। 240 घंटे की सेवा करने पर महाविद्यालय से प्रमाण पत्र मिलता है। समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा,स्वच्छता रक्तदान, अल्प–बचत, प्राथमिक उपचार आदि कार्य करने होते है। वार्षिक विशेष शिविर भी आयोजित किया जाता है जिसमें उपस्थिति अनिवार्य है।

एन.सी.सी :

महाविद्यालय में एन.सी.सी.की एक इन्फेन्ट्री इकाई है जिसका संचालन और प्रशिक्षण 7छ.ग.बटालियन एन.सी.सी बिलासपुर द्वारा किया जाता है। प्लाटून में कुल 54सीट निर्धारित है। कैडेट्स 'बी' प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने के लिए दो वर्ष की सेवा व एक कैम्प तथा 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठने के लिए तीन वर्ष व दो कैम्प करना एवं उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 80 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।

पुस्तकालय :

किसी भी शैक्षणिक संस्था में पुस्तकालय की विशेष महत्व है और उसमें उपलब्ध पुस्तकें शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के लिये रीढ़ की हड्डी का कार्य करती है । वर्तमान में महाविद्यालय के पुस्तकालय में अध्यापन के लिये उत्कृष्ठ एवं अपने विषय के प्रसिद्ध लेखकों की करीब 26000 पुस्तकें है ।

अ. स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार दो पुस्तकें निर्गमित की जाती है। पुस्तकें यदि समय पर वापस नहीं की जाती है तो प्रतिदिन एक रूपये की दर से दण्ड देय होगा ।

ब. वाचनालय कक्ष में उत्तम पत्र/पत्रिकायें पढ़ने के लिए उपलब्ध है।

भैषजिक परीक्षण :

महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र–छात्राओं को भैषजिक परीक्षण कराना होगा यह जांच किसी चिकित्सक द्वारा नियत तिथि को होगी ।

छात्रवृत्तियाँ :

शासन द्वारा स्वीकृत छात्रवृत्तियॉ इस महाविद्यालय में उपलब्ध है। जो विद्यार्थी जिस छात्रवृत्ति की पात्रता रखता है वह प्रवेश मिलते ही फार्म भरकर उचित प्रमाण पत्र सहित जुलाई माह में जमा करें ।

अनुशासन व्यवस्था एवं प्राक्टोरियल बोर्ड :

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्माण के लिए प्राक्टोरियल बोर्ड रहेगा ।

विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधन : मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्र के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम है। अनुशासनहीनता के लिये उक्त अध्यादेश में निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है।

1. निलंबन 2. निष्कासन 3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना ।

महाविद्यालय स्तर पर गठित समितियॉ :

01. अनुशासन एवं रैंगिग नियंत्रण समिति
02. समय–सारणी समिति
03. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग समिति
04. क्रय समिति
05. प्रवेश समिति
06. सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति
07. साहित्यक समिति
08. ग्रंथालय समिति
09. पर्यावरण स्वच्छता समिति
10. क्रीड़ा समिति
11. छात्र कल्याण समिति (छात्र संघ)
12. आयकर समिति
13. कैश बुक एवं डी़ एफ. सी. जॉच कार्य समिति
14. महाविद्यालय विकास एवं सम्मिलित निधि समिति
15. आन्तरिक गुणवत्ता मूल्यांकन समिति (IQAC)
16. ट्योटोरियल, परिचर्चा एवं सेमीनार समिति
17. छात्रवृत्ति समिति
18. जनभागीदारी समिति
19. रेडक्रास समिति
20. अपलेखन समिति
21. जनसम्पर्क प्रचार प्रसार समिति
22. जी. पी. एफ. सूक्ष्म जॉच समिति
23. भैषजिक जॉच समिति
24. प्लानिंग बोर्ड
25. सूचना का अधिकार समिति
26. साईकल स्टैण्ड व्यवस्था समिति
27. भूमि भवन देखरेख समिति
28. उपकरण समिति
29. मार्गदर्शन एवं परामर्श दात्री समिति
30. भूतपूर्व छात्र सम्पर्क समिति
31. अनु.जाति/जनजाति प्रकोष्ठ
32. शिकायत निवारण समिति एवं महिला उत्पीडन प्रकोष्ठ

²¦Ùàãyªà¼ §ý Îààyý§ýLu tÑààâwÙàvuà t¦ âwÙààânuà §ý âvu ¡à jÊ½à-yâÑmà

yàtàÂu âÂàut :

²¦Ùàãyªà¼¦ §ý Îààyý§ýLu tÑààâwÙàvuà t¦ ZàwÎà vÂà wàv Zà¾u§ý âwÙààânuà §ýà tÑààâwÙàvu §ý âÂàutà §ýà ¡ÕàÊÎà: qàvÂà §ýÊÂàà Ñàªàà ñ ¢Âà§ýà qàvÂà Âà §ýÊÂà qÊ wÑ Îààyà ÕàÊà âÂàoàáÊm À½»¦à¾t§ý §ýàuwàÑã §ýà sàªààÀàÊã Ñàªàà ñ

1. âwÙànJ Îààvãà wÎàsxà t¦ tÑààâwÙàvu t¦ ¡àuªààñ â§ýyã sã 0Ðnâm t¦ £y§ýL wÎàsxà £Ùàk§ý ÂàÑã ÑàÂàà jààÑuñ
2. Zà¾u§ý âwÙànJ ¡qÂàà q½à ÁuàÂà ¡ÁuuÂà t¦ vªààuªàà, yàn Ñã tÑààâwÙàvu ÕàÊà ¡àuààkm qàº¦ÜÙàÊ ªààmwâouà §ýà sã qÊà yÑuàªà ZàÀàÂà §ýÊªàà ñ
3. tÑààâwÙàvu qáÊyÊ t¦ wÑ Îààvãà ÍuwÑàÊ §ýÊªàà, ¡sô ÍuwÑàÊ, ¡yyÀâu sàxà §ýà Zàuàªà, ªààvã-ªàvàj, tàÊqã¹¦ uà ¡àªÂàu ¡Ðøàà §ýà Zàuàªà ÂàÑã §ýÊªàà ñ
4. Zà¾u§ý âwÙànJ ¡qÂà âÎàÕà§ýà, ¡âo§ýààÊuà ¥w §ýt jààÊuà y Ààtmà ¥w sômà §ýà ÍuwÑàÊ §ýÊªàà ñ
5. tÑààâwÙàvu qáÊyÊ §ýà ÐwÐ²¦ rÂààu ÊhÂàà Zà¾u§ý âwÙànJ §ýà Ââàm§ý §ýmÍu Ñ, wÑ yÊv âÂàÍuyÂà ¡àÊ âtmÍuuã kãwÂà âÂàwàÑ §ýÊªàà ñ
6. tÑààâwÙàvu §ýL yãtà¡à t¦ â§ýyã sã Zà§ýàÊ §ý tàÀ§ý qÀànà §ýà ywÂà ywnà wâkm ÊÑªàà ñ
7. tÑààâwÙàvu t¦ ¢oÊ-£oÊ n§ýÂàà, Ààwàvà §ýà ªàÂÀà §ýÊÂàà uà ªàÀã ràm âvhÂàà y©m tÂàà Ñ ñ ¡yàtàk§ý mnà ¡qÊàâo§ý ªààmâwâouà t¦ yâvÀm qàu kàÂà qÊ §ýº¦àÊ §ýàuwàÑã §ýL kàuªàã ñ
8. wÑ ¡qÂàã tàªàà §ýà ZàÀÎàÂà, ¡àÀàvÂà, âÑyà uà ¡àm§ý Äývà§ýÊ ÂàÑã §ýÊªààñ âwÙànJ ¡qÂà ¡àq §ýà Àvªàm ÊàkÂàààm y ÀÊ Êhªàà mnà ¡qÂàã tàªàà §ýà tÂàwàÂà §ý âvu ÊàkÂàààm§ý Àvà, §ýàu§ýmà¡à ¡nwà ytàjàÊ qøàà §ýà yÑàÊà ÂàÑã vªàà ñ
9. tÑààâwÙàvu qáÊyÊ t¦ tàrà¢v §ýà £quàªà q½à Zââm r0Âom ÊÑªàà ñ

¡ÁuuÂà yÈroã âÂàut :

1. Zà¾u§ý âwxu t¦ âwÙànJ §ýL 75 ZâàmÎàm £qâÐnâm ¡âÂàwàu Ñàªàã mnà wÑ ¥Âà.yã.yã./¥Âà.¥y.¥y. t¦ sã vàªà Ñàªàã ¡Âunà £y wâàx§ý qÊãÕàà t¦ rº¦Âà §ýL qàØmà ÂàÑã Ñàªàã ñ
2. âwÙànJ ZàuàªàÎààvà t¦ £q§ýÊ½àà §ýà £quàªà yàwoàÂàã qw§ý §ýÊªàà ñ £Âà§ýà Ðw°²¦ Êhªàà ñ
3. ªànàvu ÕàÊà Ðnààqm âÂàutà §ýà q½àm: qàvÂà §ýÊªàà, £y âÂàoàáÊm y©uà t¦ Ñã qÐm§ý, ZààÀm Ñàªàã mnà ytuy Âà và¹¦àÂà qÊ âÂàoàáÊm À½»¦ ÀÂàà Ñàªàã ñ
4. ¡ÁuuÂà y yÈr0Âom â§ýyã sã §ýàº¦Âàà¢ §ý âvu ªàÛýkÂàà §ý ytÕà ¡nwà Zààjàu §ý ytÕà Îàààmqw§ý ¼¦ªà y ¡ÇuàwÀÂà ZàÐmm §ýÊªàà ñ
5. Íuà©uàÂà §ýÕàà, ZàuàªàÎààvà¡à uà wàjÂààvu t¦ qh, và¢¹¦, ÄýÂàJ jÊ, ¢v0¨¹¦§ý âÄýâ¹¦ªà ¡ààÀ §ýà mà»Äýà» §ýÊÂàà À½»¦à¾t§ý ¡à jÊ½à tàÂàà kàuªàà ñ

qÊãÕàà yÈroã âÂàut :

1. âwùànJ §ýà yØà §ý ÀàÊàÂà ÑàÂà wàvã ysã ¢§ýà¢ qÊãÕàà ¡ à, Øàtààý§ý mnà ¡÷wàâx§ý qÊãÕàà ¡ à t yâÈtâvm ÑàÂàà ¡ âÂàwàu Ñ ñ
2. ¡ÐwÐnmàwÎà ¡àmáÊ§ý qÊãÕàà ¡ à t y0Ètâvm Âà ÑàÂà §ýL 0Ðnâm t âwùànJ Îààý§ýLu â j â§ý¾y§ý y tâ»§ýv yâ¹âÄý§ý¹ ZàÐmm §ýÊªàà mnà ÐwÐn ÑàÂà §ý £qÊàm qÊãÕàà Àªàà ñ
3. qÊãÕàà t uà £y§ý yÈro t â§ýyã Zà§ýàÊ §ý ¡Âàâ j m vàs ÑàÂà uà ¡Âàâ j m yàoÂàà §ýà Zàuàªà §ýÊÂà §ýà Zàu¾Âà ªàsãÊ ÀÊà j Ê½à tàÂàà kàuªàà ñ

tÑàâwùàvu ZàÎààyÂà §ýà ¡âo§ýàÊ ÕàØà :

1. uâÀ ²àØà ¡Âàâm§ýmà tv§ý uà ªàsâÊ ¡qÊào t ¡âsuQý qàuà ªàuà mà £y§ýà ZàwÎà m¾§ýàv âÂàÊÐm §ýÊ âÀuà kàuªàà ñ
2. uâÀ ²àØà Êâªàªà t âvÃm qàuà ªàuà mà ²Ùàãyªà¼ ÎàÕàâ½à§ý yÐnàÂàà t Zàmà»Âàà Zàâmxo ¡âoâÂàut 2001 §ý ¡ÂàyàÊ Êâªàªà â§ýu kàÂà qÊ ¡nwà Êâªàªà §ý âvu ZàáÊm §ýÊÂà qÊ qà j yàv m§ý §ýàÊàwày §ýL ykà uà qà j ÑkàÊ Ûýqu ktàÂàà ¡nwà ÀàÂàà y À0½»m â§ýuà kà y§ýmà Ñ ñ
3. uâÀ âwùànJ ytu-ytu t ÎàÌ§ý §ýà sªàmàÂà ÂàÑã §ýÊmà mà £y§ýà Âààt âÂàÊÐm â§ýuà kàuªàà ñ
4. uâÀ âwùànJ â§ýyã sã ZàànÂàà qØà ¡nwà ¡àwÀÂà t m¿uà §ýà â²qàuªàà ¡nwà ªàvm ZàÐmm §ýÊªàà mà £y§ýà ZàwÎà âÂàÊÐm §ýÊ £y tÑàâwùàvu t qn§ý §ýÊ âÀuà kàuªàà ñ
5. tÑàâwùàvu t ZàwÎà vÂà Ñm âwùànJ õàÊà ZàÐmm â§ýu ªàu ¡àwÀÂà qØà t £y§ý qàv§ý ¡âssàw§ý §ýà iàx½àà qØà qÊ ÑÐmàÕàÊ §ýÊÂàà ¡âÂàwàu Ñ ¡àÊ uÑ ÑÐmàÕàÊ ZàwÎà yâtâm y yÈth §ýÊªà ñ

Êâªàªà

tàÂàÂàãu ywà°u Âuàuàvu §ý ¡àÀÎà âÀÂàà§ý 27.11.06 yÀsÊ ¥y.¥v.qã. 2495/06 §ýÊv âwÎwâwÀÜàvu âwÛý÷ tÑàâwùàvu Zàà j àu §ýL qáÊxÀ mnà ¥y.¥v.qã. §ý. 24296-24299/ 2004 »ÆÌu.qã. (yã.¡àÊ.yã) 173/2006 mnà ¥y.¥v.qã. §ý. 14356/2005 §ý ¡ÂàyàÊ Êâªàªà ¥§ý À½»Âàãu ¡qÊào Ñ ñ tÑàâwùàvu uà ¡ÂuØà §ýÑã sã Êâªàªà vÂàà qÊã mÊÑ Zàâmrâom Ññ Êâªàªà §ý âvu Ààxã âwùànJ §ýà tÑàâwùàvu y âÂàÏ§ýààxm â§ýuà kà§ýÊ £y§ý âwÛý÷ §ýºàÊ âÂàxoà¾t§ý woàâÂà§ý §ýàuwàÑã §ýL kàwªààñ wáÊ™ âwùànJ ¢y§ýà ÁuàÂà Êh ñ

Êâªàªà yroã qáÊâÂàut

tÑàâwÙàvu qáÊyÊ t Êâªàªà Êà§ýÂà §ý âvu âwÎàx qáÊâÂàut :

1. uÑ âwÎàx âwÎwâwÙàvu ¡àÊ yr÷ tÑàâwÙàvu §ý qáÊyÊ t Êâªàªà §ýqnà ytàÂm §ýÊÂà §ý âvu Ðnààqm â§ýuà kà ÊÑà Ññ

2. ¢y qáÊâÂàut t âÂààÑm ¡ÂàÀÎà âwÎwâwÙàvu ¡nwà tÑàâwÙàvu qáÊyÊ ¡àÊ yr÷ ²|àØààwày qáÊyÊ t ÑàÂà wàvã â§ýyã i¹|Âàà §ý âvu vàªà Ñàªà ñ qáÊyÊ §ý ràÑÊ §ýL i¹|Âàà ¡à §ý âvu uÑ qáÊâÂàut q j vÂà t ÂàÑã Ñàªàà ñ

3. Êâªàªà t âÂàÈÂààvâhm ¡nw ¢Âàt y ¥§ý ÍuwÑàÊ ¡nwà §ýàu Îààtv Ñàªàà :

¡. ÎààÊãáÊ§ý ¡à iàm ky jà¹| qÑ jàÂàà, jà¹|à tàÊÂàà, qã¹|Âàà ¡nwà §ýà¢ À½»| ÀÂàà ñ

r. tàÂààyý§ý ¡à iàm ky tàÂààyý§ý §ývÎà qÑ jàÂàà, ²|»|Âàà, ¡qtààÂàm §ýÊÂàà, »|à¹|Âàà à

y. ¡Îvã ¡qtàÂà ky ¡yÇu j¹|§ýv yÂààÂàà, ¡yÇu ÍuwÑàÊ §ýÊÂàà ¡nwà ¥yà §ýÊÂà §ý âvu ràÁu §ýÊÂàà ñ

À. yÑqààº|uà, yàânuà uà qw ²|àØàà ¡nwà ràÑÊã ¡ytààk§ý m¾wà §ý õàÊà ¡âÂàuâØàm m¾wà §ý õàÊà ¡âÂàuâØàm ÍuwÑàÊ ky ÑÌv»| tjàÂàà, jãhÂàà-â jÌvàÂàà ¡ààÀ ñ

4. ¥yã â§ýyã i¹|Âàà §ýL kàÂà§ýàÊã ZààÂm ÑàÂà qÊ ¡nwà ¥yã â§ýyã i¹|Âàà §ýà ¡wvà§ýÂà §ýÊÂà qÊ tÑàâwÙàvu §ý qàjàu §ýà ¡nwà âwÎwâwÙàvu §ý §ývqâm §ýà §ýà¢ sã âwÙànJ, âÎàÕà§ý, §ýtjàÊã, ¡âssàw§ý uà §ýà¢ ÂààªààÊ§ý ¡qÂàã âÎà§ýàum Àk §ýÊà y§ýªàà ñ ¥yã âÎà§ýàum §ýà qàjàu tÑàâwÙàvu ¡àÊ §ývqâm âwÎwâwÙàvuà t ªààº|m qà¨¹|ááÊuv rà»| §ýà yàqªàñ ¢y t jàÊ wáÊ™| âÎàÕà§ý, Àà wáÊ™| âwÙànJ ¡àÊ Àà ¡âssàw§ý yÀÐu §ý Ûýq t Zààjàu/§ývqâm õàÊà tÂàààÂàm â§ýuà kàuªà ñ ¢y Ñm qà¨¹|ááÊuv rà»| §ýL âwÎààx rº|§ý ¡àÑm §ýL kàuªàã ñ rº|§ý §ýL yjÂàà, yjÂàà rà»| t §ýÂàààÂàm wáÊ™|mt ZààÁuàq§ý õàÊà ysã yÀÐuà §ýà Àã kàuªàã ñ uÑ wáÊ™|mt qàÁuàq§ý t©u Zàà¨¹|Ê §ýÑvàuªà ñ

5. Zàà¨¹|ááÊuv rà»| Zà§ýÊ½à §ýL ²|àÂàràÂà §ýÊªàà ¡àÊ ¡qÂàã ¡ÂàÎàyà tÑàâwÙàvu §ý Zààjàu/âwÎwâwÙàvu §ý §ývqâm ¡àwÎu§ýmàÂàyàÊ §ýàuwàÑã §ýÊ y§ýªà ñ

6. qà¨¹|ááÊuv rà»| §ýL ¡ÂàÎàyà qÊ tÑàâwÙàvu §ý qàjàu/âwÎwâwàvu §ý §ývqâm ¡àwÎu§ýmàÂàyàÊ §ýàuwàÑã §ýÊ y§ýªàñ Ààxã qàu kàÂà qÊ yrâom ²|àØà §ýà âÂàÈÂààÂàyàÊ À»| âÂàuà kà y§ýªàà ñ

1. tÑàâwÙàvu y ¥§ý uà Àà wx §ý âvu âÂàÏ§ýàyÂà ñ

2. Êà³u §ý â§ýyã sã tÑàâwÙàvu uà/¥w âwÎwâwÙàvu t Ààwx m§ý qwÎà qÊ Êà§ýñ

3. Ààxã ²|àØà §ýà À»| §ý âwÛý÷ ¡qãv §ýÊÂà §ýà ¡âo§ýàÊ Ñàªàà ñ uÑ ¡qãv tÑàâwÀÜàvu §ý Zààjàu/âwÎwâwÙàvu §ý §ývqâm §ýà yrââom Ñàªàà ñ

4. tÑàâwÙàvu §ý Zààjàu/âwÎwâwÙàvu §ý §ývqâm ¡àÊ Zàà¨¹|ááÊuv rà»| §ýL ¥yã â§ýyã sã i¹|Âàà §ýà âwÐmm kàj y0Ðnm §ýÊÂà §ýà q½àÊ ¡âo§ýààÊ Ñàªà ¡àÊ ¢y Ñm £°j ÐmÊ y Ðwã§ýâm vÂàà ¡àwÎu§ý ÂàÑã Ñàªàà vâ§ýÂà §ýL ªà¢ §ýàuwàÑã §ýL yjÂàà Êà³u Îààyà §ýà ÀÂàà ¡âÂàwàu Ñàªàà ñ

5. §ýà¢ sã Âuàuàvu (£°j Âuàuàvu §ýà ²|à»|§ýÊ) ¢y Zà§ýàÊ §ýL §ýàuwàÑã t qàjàu/§ývqâm §ýL yÑtâm §ý ârÂàà ÑÐmÕàq ÂàÑã §ýÊ y§ýªàà ñ

6. uâÀ Êâªàªà §ýà §ý¼u â§ýyã qw ²|àØà ¡nwà ¡²|àØà õàÊà â§ýuà ªàuà Ñ mà ¥y ÍuâQý §ýà qâvy §ýL yqÀ §ýÊÂà §ýà ¡âo§ýàÊ Zààjàu/âwÎwâwÙàvu §ý §ývqâm §ýà Ñàªàà ñ

¢Âà§ýL âÎà§ýàum qÊ qâvy §ýà Ààxâ ÍuâQý §ýà âÑÊàym t vÂàà ¡àÊ ¥Äý. ¡à¢. ¡àÊ. Àk §ýÊwàÂàà ¡àwÎu§ý Ñàªààñ

²¦Ùàãyªà¼¦ ÊàkqØà, âÀÂàà§ý 17 kÂàwÊã 2002

---

1) ¢y ¡âoâÂàut §ý ¡oãÂà ¡Âwx½à uà âw j àÊ½à vârm ÑàÂà qÊ âÎàÕà½à yÐnà t Zàoàà §ýà ²¦àØà §ý âÂàÏ§ýàyÂà §ý ¡âoâÂàut §ý ¡oãÂà â§ýyã ¡qÊào §ý âvu ¡âsuQý ²¦àØà §ýà âÂàvârm §ýÊÂà ¡àÊ ÎàÕàâ½à§ý yÐnà qáÊyÊ mnà ²¦àØààwày t qwÎà y wâ½àm §ýÊÂà §ýà ¡âo§ýàÊ Ñàªàà ñ

2) â§ýyã ÎàÕàâ½à§ý yÐnà §ýà §ýà¢ ²¦àØà kà oàÊà-4 §ý ¡oãÂà ây÷Ààx qàuà ªàuà Ñà, ÎàÕàâ½à§ý yÐnà §ý âÂàÏ§ýàyÂà §ý âvu âkÈtÀàÊ Ñàªàà ñ

3) ¥yà ²¦àØà kà âÂàÏ§ýàâym â§ýuà ªàuà Ñà ¡Âu §ýà¢ ÍuâQý kà ¢y ¡âoâÂàut §ý ¡oãÂà ây÷Ààx qàuà ªàuà Ñà, â§ýyã ¡Âu ÎàÕàâ½à§ý yÐnà t Êà³u §ý ÕàØàààâo§ýàÊ §ý sãmÊ mãÂà wx §ýL ¡wâo m§ý ZàwÎà ÂàÑã âÀuà kàuªàà ñ

Êàuqâ âÀÂàà§ý 17 kÂàwÊã 2002

§ýtà§ý yã/455/21-¡ (ZààÛýq½à)/2002 - sàÊm §ý yâwoàÂà §ý ¡Âà°²¦À 348 §ý h½»¦ (3) §ý ¡ÂàyÊ½à t ²¦Ùàãyªà¼¦ ÎàÕàâ½à§ý yÐnà ¡à t Êâªàªà §ýà Zàâmxo ¡âoâÂàut, 2001 (§ý.27 yÂà 2001) §ýà ¡ªàkã ¡ÂàwàÀ Êà³uqàv §ý Zààào§ýàÊ §ý ¥mÀ õàÊà Zà§ýààÎàm â§ýuà kàmà Ñ ñ

²¦Ùàãyªà¼¦ §ý Êà³uqàv §ý Âààt t mnà ¡àÀÎààÂàyàÊ

¹¦ã.yã.uÀ. ¡âmáÊQý – yâ j w

If You dream
make dreams your masters,
If you think
make thoughts your aim,
If you aspire
make aspration a reality
If you wish
make wishes come true.

uâÀ mt ÐwÃÂà Àhà
mà ÐwÃÂàà §ýà ¡qÂàà Ðwàtã rÂàà¡à,
uâÀ mt âw j àÊ §ýÊà
mà âw j àÊà §ýà ¡qÂàà £öÎu rÂàà¡à,
uâÀ mt ¡à§ýàÕàà Êhà
mà ¡à§ýàÕàà¡à §ýà wàÐmâw§ý rÂàà¡à,
uâÀ mt ¢°²¦à §ýÊà
mà ¢°²¦à¡à §ýà y¾u rÂàà¡à ñ

tÑ¾wq½à yjÂàà¥

1. आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ ले विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन पत्र स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें ।
2. विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क यथासंभव स्वयं जमा करें तथा मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानीपूर्वक सम्हालकर रखें ।
3. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अपनी अंकसूचियॉ एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण–पत्रों की छायाप्रतियॉ अनिवार्य रूप से संलग्न करें । प्रवेश समिति द्वारा सत्यापित आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण–पत्रों के आधार पर शासन के नियमानुसार प्रवेश अधिभार प्रदान किया जायेगा ।
4. निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में संभवन नहीं होगा ।
5. प्रवेश हेतु समिति द्वारा अनुशंसित विद्यार्थियों की सूची महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी। इसके लिये विद्यार्थियों को नियमित रूप से सूचना पठल देखना। उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी । सूची में नाम आने पर मूल टी.सी., सी.सी. समिति के पास आवेदन–पत्र में संलग्न कराएं ।
6. शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियमों के अंतर्गत ही प्रवेश उपस्थिति एवं मूल्यांकन परीक्षा संबंधी नियम सभी के लिये बंधनकारी होंगे ।
7. देय शुल्क शासकीय आदेशानुसार समय–समय पर परिवर्तनशील होगा ।
8. अभिभावक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रतिमाह अपने पाल्य की उपस्थिति तथा आचरण सम्बंधी जानकारी महाविद्यालय से प्राप्त करें ।
9. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु चयनित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
10. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र समय पर कार्यालय में जमा करें व उपस्थिति संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करें ।
11. छात्र निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपनी कक्षाओं में आवश्यक अध्ययन सामग्री के साथ उपस्थित रहें ।
12. नियमित प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राएं अपना परिचय–पत्र हमेंशा साथ रखें । प्रतिदिन महाविद्यालय परिसर में प्रवेश हेतु प्रवेश द्वार पर परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

"âÎàÕàà ¡Âàswà §ý ymm ¥w qÂààÂàtà½à §ý ÀwàÊà kãwÂà §ýL Zàâ§ýuà Ñ ñ uÑ
ÍuâQý §ý £Âà ytÐm Õàtmà¡à §ýà âw§ýày Ñ kà £y§ýà ¡qÂà wàmàwÊ½à §ýà
âÂàuâØàm ¥w ¡qÂàã ysàwÂàà¡à §ýà q½à §ýÊÂà uàªu rÂàà¥ªàã ñ''

kàÂà â»|wã

ârvàyqÊ âwÎwâwùàvu, ârvàyqÊ (²|.ªà.)

Âààtà§ýÂà Ñm ¡àwÀÂà qØà

Zââm, Âààtà§ýÂà §ýtà§ý ....

§ývyâjw,

ârvàyqÊ âwÎwâwùàvu, ârvàyqÊ (²|.ªà.)

tÑàÀu,

âÂàwÀÂà Ñ â§ý t £°j âÎàÕàà §ý âvu âwÎwâwùàvu t ¡qÂàà Âààt ¡â§ým §ýÊwàÂàà jàÑmà / jàÑmã Ñ ñ tÊà ªàÛý iàyãÀày âwÎwâwùàvu t Âààtà§ýÂà ÂàÑã Ñ¡à Ñ, ¢y Ñm âÂàoààÊm ÎàÌ§ý sk ÊÑà / ÊÑã Ñ ñ

¢y âwÎwâwùàvu t tÑààwùàvuãÂà / ¡ tÑà. / qw ²|àØà / ²|àØàà §ý Ûýq t Âààtà§ýÂà §ý. ....Ññ

Âààtà§ýÂà ÎàÌ§ý 50.00
¡qwàyÂà ÎàÌ§ý 60.00

30 âymÈrÊ §ý ràÀ mnà yØà §ý ¡ÀÊ qÐmm ¡àwÀÂà §ý yàn Ûý.20/- âwvr ÎàÌ§ý Àu Ñàªàà ñ
¢y§ý ràÀ ¡àwÀÂà qÐmm §ýÊÂà qÊ âwvr ÎàÌ§ý Ûý.50/- qâmtàÑ ¡âmáÊQý Àu Ñàªàà ñ

âwwÊ½à âÂàÈÂààÂàyàÊ Ñ -

1. qÊà Âààt (âÑÂÀã t) ....
2. ¡ªàkã §ý r»| ¡ÕàÊà t Âààt ....
3. âqmà §ýà Âààt ....
4. kÂt âmân (ÑàuÊ y§ý½»|Êã yâ¹|.) ....
5. ²|.ªà. t âÂàwày §ýr y §ýÊ ÊÑ Ñ ....
6. qÐmààwm qÊãÕàà §ýà Âààt ....
7. âq²|vã qÊãÕàà §ýà âwwÊ½à kà £Ùàã½à §ýL Ñ, §ýÕàà .... yØà ....
   ¡Âà§ýtà§ý .... âwÎwâwùàvu / âwùàvu ....

ÑàuÊ y§ý½»|Êã yâ¹|àÄý§ý¹| §ýL y¼uââqm ¡§ýyjã ¡âÂàwàu Ûýq t yvªÂà Ñà ¥w qÐmààwm qÊãÕàà t y0Ètâvm ÑàÂà §ýL qàØàmà ÀÂà wàvã ¡§ýyjã §ýL y¼uââqm qâm yvªÂà Ñà ñ ²|.ªà. §ý ràÑÊ §ý rà»| uà âw.âw. y ¡àÂà wàv ²|àØà §ýà âwÎwâwùàvu y kàÊã qàØàmà qtà½à-qØà §ý yàn tv qwkÂà Zàtà½à-qØà sã y0Ètâvm §ýÊÂàà Ñàªàà, (ytÐm ¡§ýyjã ¡âsqtàã½àm Ñà) mnà ¡qwàyÂà ÎàÌ§ý 60/-Ûý. ktà §ýÊÂàà Ñàªàà ñ

iÊ §ýà Ðnàuã qmà : ....
....
....

wmtàÂà qmà : ....
....
.... ¡àwÀ§ý §ý ÑÐmàÕàÊ

(Âààt ¥w âqmà §ýà Âààt ²|àØà / ²|àØàà Ðwu sÊ)

âr vàyqÊ âwÎwâwùàvu, âr vàyqÊ (²|.ªà.)

óã / óãtmã / §ýtàÊã .... âqmà ....
Âààtà§ýÂà â§ýuà ªàuà, Âààtà§ýÂà §ýtà§ý .... Ñ ñ

§ývyâjw

tÑàâwÙàvu §ýàuàvu §ý âvu

âwÙànJ õàÊà ¡qÂà qqØà t âvhà ªàuà âwwÊ½à tÊã kàÂà§ýàÊã §ý ¡ÂàyàÊ º§ý Ññ qtà½à qØàà §ý âky§ý ¡àoàÊ qÊ qwÎà âÀuà ªàuà Ñ tÂà Ðwu Àh Ñ ¡àÊ £y§ýL svãsàâm kàj §ýÊ vã Ñ ñ ¢y âwÙànJ Âà (qÊãÕàà §ýà Âààt) .... qÊãÕàà yØà .... rà» / âwÎwâwÙàvu y £Ùàã½à / ¡ÂàÙàã½à §ýL Ñ ñ

t y¾uàâqm §ýÊmà / §ýÊmã Ñ â§ý âwÎwâwÙàvu y qàÃm ¡Âu rà» / âw0ÎwÙàvu qÊãÕàà ¡à §ýL yt§ýÕàmà yjã §ý ¡àoàÊ qÊ uÑ .... §ýÕàà t ZàwÎà §ýL qàØàmà Êhmà / Êhmã Ñ ñ

2. âwÙànJ §ýà tÑàâwÙàvu y .... âmân §ýà qwÎà âÀuà ªàuà Ññ ².ªà. âw.âw. ¡âoâÂàut 22wà 1976 t wâ½àm âÂàutà §ýà qàvÂà â§ýuà ªàuà Ñ ñ âwvr y qwÎà ÀÂà §ý qw §ývqâm kã y âw.âw. §ý qØà §ýtà§ý .... âÀÂàà§ý .... §ý õàÊà ¡Âàtâm qàÃm §ýÊ vã Ñ ñ

qàjàu §ý ÑÐmàÕàÊ

tÑàâwÙàvu §ýL tÑÊ

¹ãq :

1. ¢y Âààtà§ýÂà qØà t âvhà ªàuà âwÙànJ §ýà Âààt £°jmÊ tàÁuât§ý Îààvà §ýà qtà½à-qØà (Ð§ýv yâ¹âÄý§ý¹) ¡nwà âw.âw. / rà» õàÊà âÂàªààtm qtà½à-qØà âÀu ªàu ¡ÂàyàÊ ÑàÂàà jààÑu ñ
2. Âààt qáÊwmÂà Ñm q¾uàÎàã ÑvÄýÂààtà w ÎàÌ§ý kà §ýÊ ¡Âàtâm qàÃm §ýÊ ñ
3. ¢y ¡àwÀÂà qØà §ýà ²àØà / ²àØàà Ðwu sÊ ¥w ¡ªààxm §ýÊÂà wàv ¡âo§ýàÊã §ýà ÑÐmàÕàÊ ¥w tÑÊ ÑàÂàà ¡àwÎu§ý Ñ ñ
4. ².ªà. rà» §ýà ²à»§ýÊ ¡Âu rà» ¥w âw.âw. y ¡à¥ ²àØàà §ýà qwkÂà qtà½à-qØà tv t ZàÐmm §ýÊÂàà ¡àwÎu§ý Ñ ñ
5. q¾u§ý ²àØà §ýà Âààtà§ýÂà qØà Âààtàwvã qØà§ý t Âààt ¡â§ým ÑàÂàà ¡âÂàwàu Ñ ñ
6. q¾u§ý ²àØà §ýà ÑàuÊ y§ý½»Êã §ýL ¡§ýyjã (y¾uààqm) yvªÂà §ýÊÂàà ¡âÂàwàu Ñ ñ

qwÎà §ý. .... âÀÂàà§ý............ ¡àwÀÂà qØà kt à §ýÊÂà §ýL âmân ....

Îààу§ýLu k.¥t.qã. tÑàâwùàvu, mhmqÊ (²|.ªà.)

qwÎà ¡àwÀÂà-qØà

qàyqàं¹| yà¢k Äýà¹|à

yÊv §ý.

£y wªà §ýà Âààt âkyt ¡àq ¡àm Ñ (✓) vªààw q½à âwwÊ½à w qtà½à-qØà yvªÂà §ýÊ ñ

yà. Gen.	¡.kà. SC.	¡.k.kà. ST	¡.âq.w. OBC	âw§ývªªà PH	Ðw.y.yÂààÂàã FF

qÛýx M	tâÑvà F	mmãu âvªà III Gender

§ýÕàà âkyt qwÎà jààÑu - §ýÕàà ....

¡àwÀ§ý kà âwxu vÂàà jàÑmà Ñ - 1. .... 2...................... 3......................

ÐÂààm§ýàÙàÊ §ýà âwxu ....

âwªàm qÊãÕàà §ýà âwwÊ½à âky§ý ¡àoàÊ qÊ qwÎà jàÑm Ñ ñ - âwÖààÂà §ýÕàà .... qàÂmà§ý / q½àà§ý qâmÎàm ....

1. ¡àwÀ§ý §ýà Âààt (âÑÂÀã t) - óã / §ý. / óãtmã ....

(¡ªàkã t) - ....

2. ¡àwÀ§ý §ýà qmà (ÐnàÂààu / Ðnàuã)- ....

....

ÄýàÂà Âà. ....

3. ¡àwÀ§ý §ý âqmà §ýà Âààt - ....

tàmà §ýà Âààt - ....

4. kÂt âm0n (¡§ýà t) - | | | | | | | | |

(ÎàÅÀà t) - ....

01 kvà¢ 2011 §ýL 0Ðnâm t ¡àu - .... wx .... tàÑ ....âÀÂà

5. kÂt ÐnàÂà w Êà˜ãumà - ÐnàÂà .... âkvà ....

Êà³u .... Êà˜ãumà ....

6. Åv» ªàq - ....

7. ¨uà ¡àwÀ§ý ².ªà. §ýà Ðnàuã - ....
âÂàwàyã Ñ ? uâÀ Ñà mà â§ýy ÐnàÂà §ýà ñ

8. yÊÕà§ý §ýà qÊà Âààt ¥w ¡àwÀ§ý y yro - Âààt ....
yro ....

9. âqmà / yÊÕà§ý §ýà Íuwyàu w wàâx§ý ¡àu - ....

10. âqmà / yÊÕà§ý §ý ².ªà. t ÊÑÂà §ýL ¡wâo - ....

11. uâÀ âqmà / yÊÕà§ý ÐnàÂàãu Âà Ñà mà - Âààt ....
ÐnàÂàãu yÊÕà§ý §ýà qÊà Âààt qmà ¥w qmà ....Äýàà Âà..................
ÄýàÂà Âà. ¡àwÀ§ý y yro Íuwyàu .... yro ....

12. ¥Âà.yã.yã. / hv§ýÀ / Êà.y.uà. / ¡Âu - ....
âwÎàx qÊÐ§ýàÊ ¡ààÀ âwwÊ½à yâÑm ....
qtà½à-qØà yvªÂà §ýÊ ñ ....

13. ÎàÕàâ½à§ý qªààm §ýà âwwÊ½à

qÊãÕàà §ýà Âààt		yÐnà §ýà Âààt	rà» / âw.âw. §ýà Âààt	qwÎà âmân	£Ùàã½à §ýÊÂà §ýà wx	âwxu	qàÂmà§ý / q½àà§ý	ó½àã	yÐnà ²à»Âà §ýà §ýàÊ½à	qkãuÂà ¥w Êàv ÂàrÊ	â¹Âq½àã
10 + 2 qtà½à-qØà qÊãÕàà											
rã.¥. / rã.§ýàt. / rã.¥y.yã.	I										
	II										
	III										
¥t.¥. (qw)											

21. uâÀ ªàm mãÂà wxà t ¡àwÀ§ý §ýà ¡ÁuuÂà §ýt kàÊã ÊÑà Ñ uâÀ ÂàÑã mà §ýàÊ½à ¥w ¡wâo §ýà Ðq˜ £Ìvh §ýÊ ñ ....

23. ¨uà 3 wxà t ¡àwÀ§ý â§ýyã ¡Âu tÑààwùàvu t qwÎà âvuà Ñà mà q½à âwwÊ½à Àââku ñ ....

24. ¨uà ¡àwÀ§ý Âà ¢y yØà t ¢y tÑààwùàvu §ý ¡âmáÊQý ¡Âu â§ýyã tÑààwùàvu t â§ýyã ¡Âu §ýàu§ýt t qwÎà âvuà Ñ ? uâÀ Ñà mà £y§ýà q½à âwwÊ½à À ñ ....

25. ¨uà ¡àwÀ§ý ywàÊm Ñ ? uâÀ Ñ mà âÂàuà¨mà §ýà ¡ÂààqâÙà qtà½à-qØà yvªÂà §ýÊ ñ ....

26. ¨uà ¡àwÀ§ý qÊãÕàà t ¡Âàâ jm yàoÂàà §ýà quàªà §ýÊm Ñu Àâ»m Ñ ¡à Ñ, uâÀ Ñà mà âwwÊ½à À ñ

§ýÕàà / qÊãÕàà ....
wx ....
yÐnà §ýà Âààt ....
À½» ....

27. ¨uà ¡àwÀ§ý §ýsã ÀÊà jàÊ ¥w ¡ÂàÎààyÂàÑãÂàmà §ý âvu Àâ»m Ñ ¡à Ñ uâÀ Ñà mà âwwÊ½à À ñ

....

28. ¨uà ¡àwÀ§ý §ý âhvàÄý Âuàuàvu t ¡qÊààо§ý q§ýÊ½à vârm Ñ uâÀ Ñà mà âwwÊ½à À ñ

....

29. ¨uà ¡àwÀ§ý §ýà ¢y yÐnà y ¡ÂàÎààyÂàÑãÂàmà §ý yro t §ýà¢ y jÂàà uà jmàwÂàã âtvã Ñ, uâÀ Ñà mà âwwÊ½à À ñ

....

¡àwÀ§ý §ýà q½à ÑÐmàÕàÊ

qÊà Âààt ....

18. yvªÂà qØàà §ýL y j ã :

1. âq²vã qÊãÕàà ¡à §ýL ¡§ýyâ juà (3 qâm t)
2. kÂt màÊãh §ýà qtà½à qØà (Àywã §ýL ¡§ýy jâ)
3. kââm / wªà qtà½à-qØà
4. âÂàwày qtà½à qØà
5. ÐnàÂààmÊ½à w jáÊØà qtà½à-qØà (tv Zââm)
6. ¡àu qtà½à qØà
7. Îàqn qØà (kÛýÊm ÑàÂà qÊ)
7. âÂàuàQýà §ýL Ðwã§ýâm (uâÀ ¡àq Âàà§ýÊã §ýÊm Ñ)
8. qwkÂà qtà½à qØà (uâÀ ¡Âu âw.âw. y ¡àwÀ§ý ¡àuà Ñ ñ)
9. tàmà-âqmà §ý ².ªà. §ý mmãu uà jmn §ýt jàÊã ÑàÂà §ýà Zàtà½à qØà ñ

¹¦âq : ytÐm qtà½à-qØàà §ýL y¾uààqm ²¦àuàqâm yvªÂà §ýÊñ qwÎà Ñm juÂà y jã t Âààt ¡àÂà qÊ qwÎà yâtâm §ý qày tv ÐnàÂààmÊ½à ¥w jáÊØà qtà½à-qØà ktà §ýÊ £y§ý ràÀ §ýàuàvu t qwÎà ÎàÌ§ý ktà §ýÊ ñ

¡àwÀ§ý õàÊà qâmÒàà

tÂà tÑââwùàvu §ý âÂàutà, ÍuwÐnà ¡à w ¡à jÊ½à yâÑmà §ýà ¡ÁuuÂà §ýÊ âvuà Ñ mnà qâmÖàà §ýÊmà/§ýÊmã Ñ â§ý t ¡ÁuuÂàÊm ÊÑ§ýÊ ¡qÂà §ýmÍuà mnà tÑââwùàvu §ý âÂàutà ¥w ÍuwÐnà ¡à §ýà qàvÂà §ýÊmà ÊÑªàà / §ýÊmã ÊÑªàã mnà tÑââwùàvuãÂà jnwà ràÑÊ §ýL qÊãÕàà ¡à t â§ýyã sã ¡ÂàÎààyÂàÑãÂàmà ¥w âÑyà¾t§ý §ýàuwàÑã t q¼uÕà uà qÊãÕà Ûýq y sàªà ÂàÑã vªàà/vªààñ t ÑÊ tàtv t Zàà jàu tÑàÀu §ý âÂà½àuà §ýà qàvÂà §ýÛýªàà/§ýÛýªààñ t iàx½àà §ýÊmà Ñ/§ýÊmã Ñ â§ý tÂà â§ýyã sã m¿u §ýà â²¦qàuà ÂàÑã Ñ ¡âÊ ÂàÑã ¡y¾u kÂà§ýàÊã Àã Ñ ñ £qÊàQý qmãÖàà §ý £Ìvi Âà §ýÊÂà §ýL ºÐnâm t qà jàu §ýà q½à ¡âo§ýàÊ ÑàªàÀ â§ý w tl Àâ»¦m §ýÊ y§ým Ñ w âÂàÐ§ýàâxm sã §ýÊ y§ým Ñ ñ âky§ýL qw y jÂàà tl uà tÊ qàv§ý §ýà ÀÂàà ¡àwÎu§ý ÂàÑã Ñ ñ

âÀÂàà§ý ....

¡àwÀ§ý §ý ÑÐmàÕàÊ

âqmà / ¡âssàw§ý §ýà iàx½àà-qØà

t iàx½àà §ýÊmà/§ýÊmã Ñ â§ý tÊ qØà/qØàã/qàÌu õàÊà ¢y ¡àwÀÂà qØà t Àã ªà¢ ytÐm kàÂà§ýàÊã y¼u Ñ ñ tÑàâwùàvu t £y§ý ¡ÁuuÂà§ýàv t £y§ý ¡à jÊ½à, §ýàuà, £qØnâm mnà ÀÂàâÀÀàã qªàâm ¡âÊ ÍuwÑàÊ §ý yro t âwÎàx ÁuàÂà Àªàà mnà £y§ý âvu t q½àm: £ÙàÊÀàuã ÊÑm Ñ¥ tÑàâwùàvu §ýà q½à yÑuàªà Àmà ÊÑªàà ¡âÊ tÑàâwùàvu §ýà Àu ytÐm ÎàÌ§ý §ýL ÊàâÎà §ý sªàmàÂà §ýL £ÙàÊÀàâu¾w §ýà wÑÂà §ýÛýªàà ñ uâÀ tÊ qØà/qØàã/qàÌu §ý âwÛý÷ Êâªàªà §ýL âÎà§ýàum qàÅm Ñ¢ mà £y tÑàâwùàvu y âÀàÏ§ýàâxm â§ýuà kà¥ ñ ¢yt tÊã q½à yÑtâm Ñàªàã ñ

Âàà¹¦ - âqmà uà tàmà §ý ÊÑm Ñu ¡Âu ¡âssàw§ý tàÂu ÂàÑã Ñàªàà ñ

âÀÂàà§ý .... **âqmà / ¡âssàw§ý §ý ÑÐmàÕàÊ**

tÊ ytÕà ÑÐmàÕàÊ â§ýuà ªàuà ñ qÊà Âààt ....

yuàk§ý, ZàwÎà yâtâm qÊà qmà ....

---

qwÎà yâtâm §ý yuàk§ý / ¡Áuàq§ý §ýL ¡ÂàÎàyà / â¹¦Áq½àã

óã/§ý./óâtmã .... §ýà §ýÕàà .... §ý âwxu/âwxuà 1..................... 2. ....

3......................... 4............................... t qwÎà §ýL ¡ÂàÎàyà §ýL kàmã Ñ ñ

¡àwÀ§ý §ýà âÂàÈÂàâvâhm qâmroà qÊ qwÎà âÀuà kàu -

1. âwxu qâÊwmÂà ....

2. ¡àwÀÂà qØà §ýL âÂàÈÂàâvâhm ¡àqâmuà §ýL kàu ....

¡àwÀÂà qqØà ¡Ðwã§ým §ýÊ âÀuà kàu -

yuàk§ý, qwÎà yâtâm

---

qà jàu ¡àÀÎà

1. ¡àwÀ§ý §ýà §ýÕàà .... t ¡Ðnàuã ZàwÎà âÀuà kàmà Ñ ñ
2. ¡àwÀÂà qØà ¡Ðwã§ým â§ýuà kàmà Ñ ñ

âÀÂàà§ý................ **qà jàu**

ÎàÌ§ý Îààhà

¡àwÀÂà qØà §ý yàn Îààyy§ýLu ÎàÌ§ý Ûý................... ÊyãÀ §ý. ....ñ k.sà. ÎàÌ§ý Ûý................. ÊyãÀ §ý..............

¡Îààyy§ýLu ÎàÌ§ý Ûý. .... ÊyãÀ §ý. ....ñ

§ýv ÎàÌ§ý Ûý. .... âÀÂàà§ý .... õàÊà ZààÅm Ñu ñ

ÎàÌ§ý âvâq§ý §ý ÑÐmàÕàÊ

---

§ýtà§ý .... ZàwÎà âÂàªààtm â§ýuà ªàuà ñ ¡àwÀÂà qØà ¡Ðwã§ým §ýÊÂà §ýL y jÂàà Àã ªà¢ ñ

ZàwÎà Ðwã§ýâm / ¡Ðwã§ýâm

ZàwÎà âvâq§ý

---

qàwmã (§ýàuàvu ÷àÊà)

¡àwÀ§ý §ýà Âààt .... §ýÕàà .... §ýà ZàwÎà §ý âvu ¡àwÀÂà qØà §ý.............................. âÀÂàà§ý .... §ýà qàÅm â§ýuà ñ

yvªÂà : 1. âq²¦vã qÊãÕàà ¡à §ýL ¡§ýyâ juà 2. kÂt mâÊãh §ýà qtà½à qØà/Àywã §ýL ¡§ýy jã 3. kâm/wªà Zàtà½à-qØàñ
4. ÐnàÂààmÊ½à w jâÊØà qtà½à-qØà 5. qwkÂà Zàtà½à-qØà 6. âÂàwày Zàtà½à-qØà
7. ¥Âà.yã.yã./¥Âà.¥y.¥y./hv§ýÀ/qàmãu/Êã˜¦âu qtà½à-qØà ñ
8. tàmà-âqmà §ý ²¦ÙààyªÃ¼¦ ÎààyÂà t mmâu/ jmn §ý t jâÊã ÑàÂà yroã qtà½à-qØà ñ 9. Ðwu §ý qmà âvh Àà qàÐ¹¦ §ýà»¦ ñ

§ýv yvªÂà qtà½à-qØàà §ýL y©uà .... **ÑÐmàÕàÊ qàÅm§ýmà**

शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय

mhmqÊ, âkvà-ârvàyqÊ (²|.ªà.)

सूचना एवं प्रवेश विवरणिका

INFORMATION & ADMISSION BROCHURE

= = =

ZàwÎà ¡ àwÀÂà qØà ¡ àwÀ§ý Ðwu sÊ ñ
¡ àwÀÂà qØà sÊÂà y qw âwwÊâ½à§ýà §ýà Áuàà y q¼| ñ

ZàwÎà §ý y t u ZàÐmm §ýÊ ñ

1. 10wã y âwªàm ytÐm §ýÕàà §ýL ¡§ýy j ã - y¾uààqm Zàâm ñ
2. tv ÐnàÂààÂmÊ½à Zà tà½à qØà (¹|ã.yã) ¥w j âÊØà Zà tà½à qØà §ýL y¾uààqm Zàâm ñ
   (j uÂà y j ã t Âààt ¡àÂà qÊ tv Zàâm ktà §ýÊÂàã Ñàªààñ)
3. kààm Zà tà½à qØà - y¾uààqm Zàâm ñ
4. âÂàwày Zà tà½à qØà - y¾uààqm Zàâm ñ
5. âw§ývàªà Zà tà½à-qØà -y¾uààqm Zàâm ñ
6. qàyqà¹| yà¢k §ýL 3 Äýà¹|à ñ

¹|ãq : âtvàÂà Ñm tv Zà tà½àqØà ¥w ¡§ýy j ã sã yàn vàw w ZàwÎà yâtàm y y¾uààqm §ýÊàw ñ Îààyàà õàÊà âÂàoààÊm yã¹| w ªà½ààÂà§ýt §ý ¡àoàÊ qÊ ZàwÎà ysw Ñàªàà ñ

GOVERNMENT J.M.P. COLLEGE,

TAKHATPUR, DIST.-BILASPUR (C.G.) Tel. : 07753-264643
Website - govtjmpcollegetkp.com

tÌu Ûý. 50.00

¡Âà§ý tâ½à§ýà

§ý.	âwwÊ½à	q™ y©uà

1.	tÑàâwùàvu §ýà yâÕàÂm qáÊ j u	1
2.	ÎàÕàâ½à§ý ¥w ZàÎààyâÂà§ý yÊ j Âàà	2
3.	tÑàâwùàvu t ÐÂààm§ý ¥w ÐÂààm§ýàÙàÊ ÐmÊ qÊ q¼àu kàÂà wàv âwxu ytÑ ¥w y§ýàu	4
4.	tÑàâwùàvu t ÐÂààm§ý ¥w ÐÂààm§ýàmÊ §ýÕàà ¡ à t £qvÆo yâ¹à §ýL y©uà	5
5.	ÐÂààm§ýàÙàÊ §ýÕàà ¡ à §ý ytÐm âwxuà t âÂàuâtm ¥w ÐwàÁuàuã ÀàÂàà Ñã qÊãÕàààânuà §ýà ¢y tÑàâwùàvu t ZàÎÂà-qØà vÂà Ñm ZàÎÂà-qØà §ýL kàÂà§ýàÊã	6
6.	tÑàâwùàvu t ÎààyÂà õàÊà âÂàoàáÊm ZàwÎà yroã âÂàut	10
7.	tÑàâwùàvu t ZàwÎà yroã tàªàÀÎà§ý âÂàut	20
8.	ÎàÌ§ý âwwÊ½à	22
9.	tÑàâwùàvu t yâwoà¥ w ¡Âu kàÂà§ýàÊã	24
10.	²Ùààyªà¼ §ý Îààyߧýu tÑàâwùàvuà t âwùààânuà §ý âvu ¡ à j Ê½à-yâÑmà	26
11.	Êâªàªà yroã qáÊâÂàut	28
12.	tÑ¾wq½à y j Âàà¥	30

qáÊâÎà™ - ¡àwÀÂà Äýàt, Âààtà§ýÂà Äýàt, ÎàqnqØà

संलग्न – 1

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र

1. मैं ....(छात्र का नाम प्रवेश/पंजीयन/नामांकन सहित)
पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती/...
शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में हो चुका है या हो गया है को उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के अपराध को समाप्त करने के लिए यू.जी.सी. नियमावली 2009 प्राप्त की. उसको सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग किस प्रकार की होती है के प्रति सजग हुआ।

3. मैंने कंडिका 7 और 9.1 के नियमों का भी विशेष अध्ययन किया और मैं प्रशासकीय कार्यवाही से अवगत हूँ जिसके अंतर्गत यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देता हूँ/देती हूँ अथवा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता/करती हूँ या षड्यंत्र करता/करती हूँ तो मेरे विरूद्ध कार्यवाही हो सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता/लेती हूँ कि –

(अ) मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा/करूँगी जो कि कंडिका–3 के नियम के अंतर्गत रैगिंग की श्रेणी में आता हो।

(ब) मैं ऐसे किसी भी कार्य में प्रतिभागी नहीं बनूँगा/बनूँगी जो कंडिका–3 के अंतर्गत अपराध को बढ़ावा देता हो या (लोकप्रिय) फैलाता हो।

5. मैं सत्य निष्ठा से वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं रैगिंग में लिप्त पाया जाता/जाती हूँ तो मेरे विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के अपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

6. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि देश की किसी भी संस्था से ना तो निकाला गया और ना ही प्रवेश के लिए वर्जित किया गया न हीं रैगिंग जैसे अपराध को बढ़ावा देने सहायता करने या षड्यंत्र में अपराधी पाया गया/गई हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि मेरी ये घोषणा असत्य पाई जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

घोषणा का दिनांक.......................... माह......................... वर्ष.................................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम ....
कक्षा ....
मो.नं. ....

सत्यापन

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरी जानकारी से सत्य है और कोई भी तथ्य गलत नहीं है तथा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
सत्यापन का (स्थान) .... (दिन).........................(माह)..................(वर्ष)...............

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

उपस्थिति में शपथ पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर(दिन)..........................माह..........वर्ष................. को हस्ताक्षर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

संलग्न – 2

माता–पिता/अभिभावक का शपथ पत्र

1. मैं श्री/श्रीमती ....(माता–पिता/अभिभावक का नाम) श्री/कु. ....(छात्र का पूरा नाम, प्रवेश,पंजीयन/नामांकन सहित) शासकीय जे.एम.पी. महाविद्यालय तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रवेश हो चुका है, पुष्टि करता हूँ कि मुझे रैगिंग अपराध को समाप्त करने हेतु यू.जी.सी. की नियमावली 2009 प्राप्त हुई जिसे मैंने सावधानी पूर्वक पढ़ा और पूर्णतः समझा।

2. मैंने विशेषतः नियमों की कंडिका–3 का अध्ययन किया और रैगिंग क्या है से अवगत हुआ।

3. मैंने उक्त नियमों की कंडिका – 7 और 9.1 का विशेष अध्ययन किया और मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने में अपराधी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. मैं सत्य निष्ठा से संकल्प लेता हूँ कि –

   (अ) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी प्रकार के रैगिंग अपराध में सम्मिलित नहीं होगा जो कि कंडिका–3 के अंतर्गत आता है।

   (ब) मेरा पुत्र/पुत्री किसी भी ऐसे कार्य में प्रतिभागी नहीं बनेगा तो कंडिका–3 के अंतर्गत रैगिंग अपराध की श्रेणी में आता हो।

5. मैं सत्यनिष्ठा से वचन देता हूँ कि यदि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्ध उक्त नियमों की कंडिका 9.1 के अंतर्गत बिना किसी पूर्व न्यायिक कार्यवाही के सजा हो सकती है।

6. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के अपराध के कारण देश की किसी संस्था से न तो निष्कासित किया गया न हीं प्रवेश से वंचित किया गया।

घोषणा का दिनांक .... माह .... वर्ष ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम..................................
पता..................................
फोन/मोबाइल नंबर.................

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में उल्लिखित सभी तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

सत्यापन का (स्थान)........................... (दिन)..................(माह)................ (वर्ष)...................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

मेरी उपस्थिति में शपथ–पत्र में उल्लिखित नियमों का अध्ययन कर(दिन)..............माह......................वर्ष ....को हस्ताक्षर कर आत्मिक स्वीकृति दी गई।

शपथ आयुक्त

SAVE GIRL
AND
RESPECT GIRL

Printed By : Digital Connectors, BSP: 9893000946